

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी- श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद-पत्र संख्या : 13/2014 पुनः दर्ज 85/2020

दर्ज दिनांक : 22/01/2014 पुनः दर्ज दिनांक 08/09/2020

निर्णय दिनांक : 10/03/2021

1. रामनाथ पुत्र स्व0रामू
2. हरिराम पुत्र स्व0 रामकरण
3. रूपनारायण पुत्र स्व0 रामकरण (फौत)
 - 3/1 श्रीमती रोडी पत्नी स्व0 रूपनारायण
 - 3/2 कानाराम पुत्र स्व0 रूपनारायण
 - 3/3 कमलादेवी पुत्री स्व0 रूपनारायण
 - 3/4 ग्यारसीदेवी पुत्री स्व0 रूपनारायण
 - सत्यनारायण पुत्र स्व0 रूपनारायण
 - मनराजदेवी पुत्री स्व0 रूपनारायण
 - सीतादेवी पुत्री स्व0 रूपनारायण
 - 3/8 मूलचन्द पुत्र स्व0 रूपनारायण
4. रामकुंवार } पुत्रान रामकरण
5. रामदयाल }
6. रामेश्वर }
7. रामस्वरूप } पुत्रान स्व0 रामरख
8. द्वारका }
9. कैलाश }
10. हरिनारायण पुत्र स्व0 नन्दा


समस्त जाति जाट
निवासीगण ग्राम
खुडियाला तह0
मौजमाबाद
जिला जयपुर

निवासी खुडियाला
तहसील मौजमाबाद
जिला जयपुर, राज0।

-- वादीगण

-बनाम-

1. रूगनाथ पुत्र स्व0 रामनारायण, जाति जाट, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0 (मृतक)
 - 1/1 रामा पत्नी रूगनाथ (फौत)
 - 1/2 महिपाल पुत्र रूगनाथ जाति जाट, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0


सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

- 1/3 हेमराज पुत्र रुगनाथ जाति जाट, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0
- 1/4 रामफूल पुत्री रुगनाथ पत्नी आनन्दीलाल, जाति जाट, निवासी नासनोदा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0
- 1/5 हरफूल पुत्री रुगनाथ पत्नी बद्रीनारायण, जाति जाट, निवासी बोला की ढाणी बासडा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
- 1/6 मनफूल पुत्री रुगनाथ पत्नी नन्दाराम, जाति जाट, निवासी नासनोदा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।



किरण पुत्री रुगनाथ पत्नी जगदीश, जाति जाट, निवासी नासनोदा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

रसना पुत्री रुगनाथ पत्नी रूपाराम, जाति जाट, निवासी बागेत, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

2. श्रीमती स्याणी पुत्री स्व0 रामनारायण, जाति जाट, निवासी खुडियाला, पत्नि स्व0 जगदीश, जाति जाट, हाल निवासी जगदीश बधाला की ढाणी, महलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
3. श्रीमती रामप्यारी पुत्री स्व0 रामनारायण, जाति जाट, निवासी खुडियाला, पत्नि कानाराम, जाति जाट, निवासी गाडोता, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
4. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
5. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा दूद, जिला जयपुर राज0।


-- प्रतिवादीगण

-- वाद बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा --
अन्तर्गत धारा 88 व 188 रा0टी0ए0

उपरिस्थिति - श्री उदयसिंह चौधरी
श्री बलविन्द्र सिंह चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादी संख्या 1, 2 व 4 ल. 10

श्री रामधन सारण
विद्वान अधिवक्ता वादी संख्या 3/1 ल. 3/8

श्री विरेन्द्र सिंह खंगारोत
एडवोकेटस
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/2 ल. 1/8, प्रतिवादीसंख्या 2, 3


सहायक जज
(फास्ट ट्रैक) दूद

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

श्री सुरेन्द्र शर्मा
श्री मौनू सैन
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5



निर्णय दिनांक 19/03/2021

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17/12/2014 को इस आशय का डिक्री पारित किया गया कि "अतः वादीगण का वाद वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर के बाबत डिक्री किया जाकर निम्न प्रकार से खातेदारी घोषणा प्रदान की जाती है :-

वादी संख्या 1 रामनाथ को खतौनी संख्या 316 के खसरा नम्बर 1057 रकबा 0.22 हैक्टेयर सम्पूर्ण हिस्सा, खसरा नम्बर 1058 रकबा 0.26 हैक्टेयर सम्पूर्ण हिस्सा, खतौनी संख्या 157 के खसरा नम्बर 1554 रकबा 0.27 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा, खतौनी संख्या 325 के खसरा नम्बर 1555 रकबा 4.14 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा, खसरा नम्बर 1553 रकबा 0.10 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा, खतौनी संख्या 246 के खसरा नम्बर 1922 रकबा 0.06 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा, खसरा नम्बर 1923 रकबा 0.07 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

वादी संख्या 2 लगायत 5 हरिराम, रूपनारायण, रामकुंवार, रामदयाल के खतौनी संख्या 316 के आराजी खसरा नम्बर 282 रकबा 0.39 हैक्टेयर सम्पूर्ण हिस्सा, खसरा नम्बर 281 रकबा 0.02 हैक्टेयर सम्पूर्ण हिस्सा, खसरा नम्बर 1405 रकबा 0.20 हैक्टेयर सम्पूर्ण हिस्सा, खतौनी संख्या 325 के खसरा नम्बर 4047 रकबा 0.70 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा, खसरा नम्बर 4050 रकबा 0.72 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा, खसरा नम्बर 4051 रकबा 0.70 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा, खसरा नम्बर 4052 रकबा 0.71 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

वादी संख्या 6 लगायत 9 रामेश्वर, रामस्वरूप, द्वारका व कैलाश के खतौनी संख्या 316 के आराजी खसरा नम्बर 852 रकबा 0.62 हैक्टेयर सम्पूर्ण हिस्सा, खसरा नम्बर 1949 रकबा 0.24 हैक्टेयर सम्पूर्ण हिस्सा, खतौनी संख्या 247 के खसरा नम्बर 1950 रकबा 0.03 हैक्टेयर में से 1/8 हिस्सा, खतौनी संख्या 246 के खसरा नम्बर

3
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) युव

1946 रकबा 0.14 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा रहेगा एवं खतौनी संख्या 351 के आराजी खसरा नम्बर 328, 329, 331, 332, 333, 336, 403, 404, 405, 747, 748, 749, 751, 752, 757, 758, 759 कुल किता 17 कुल रकबा 8.58 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की माता खातेदार मन्नी पत्नि स्व० रामनारायण (मृतक) का हिस्सा एक आना का वादी संख्या 6 लगायत 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

एवं इसी प्रकार वादी संख्या 10 हरिनारायण के खतौनी संख्या 157 के खसरा नम्बर 1438 रकबा 1.54 हैक्टेयर में से सम्पूर्ण हिस्सा, खसरा नम्बर 1646 रकबा 0.21 हैक्टेयर सम्पूर्ण हिस्सा, खतौनी संख्या 246 के खसरा नम्बर 1926 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।”

इस प्रकार उक्त वर्णित अनुसार इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17/12/2014 को निर्णय व डिक्री पारित किया गया था।

तत्पश्चात दिनांक 08/09/2020 को माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर से पत्रावली प्राप्त हुयी जिसके अनुसार अपील अपीलाण्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 17/12/2014 को निरस्त किया गया एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करने के निर्देशों के साथ पत्रावली प्राप्त हुयी। वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 151 जा० दी० व प्रार्थना-पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र पेश किया गया। जिन पर बहस सुनी जाकर न्यायहित में प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये गये। वकील वादी ने संशोधित टायटल पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 21/09/2020 को वादी संख्या 3/1 ल. 3/8 की ओर से अधिवक्ता श्री रामधन सारण ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/2 ल. 1/8 व 2, 3 की ओर से अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सिंह खंगारोत ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1/2 लगायत 1/8 व 2, 3 ने राजीनामा पेश किया जो बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान ने राजीनामा में यह अंकित किया कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री



(Signature)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेन)

दिनांक 17/12/2014 के अनुसार वाद को अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने निवेदन किया है। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान ने साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान ने अपनी बहस में राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मुताबिक राजीनामा अनुसार ही दावा डिक्री किया जावे, जिसमें पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है। पूर्ण सहमति है।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या 157, 238, 246, 325, 316, 247, 351 वाके ग्राम खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, मिलान क्षेत्रफल एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र मन्नीदेवी उर्फ मुन्नी तथा प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेशानुसार प्रकरण में पुनःगुणावगुण पर सुनवाई की गयी जिस पर पक्षकारान के मध्य राजीनामा हुआ एवं पक्षकारान द्वारा साक्ष्य पेश न कर राजीनामा अनुसार ही डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह पाया जाता है कि पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 17/12/2014 के अनुसार ही पुनः निर्णय पारित करने हेतु सहमति प्रदान की गयी है, चूंकि पक्षकारान में राजीनामा हो चुका है, इसलिये अब बरुये राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।।

अतः वादीगण का वाद वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर के बाबत बरुये राजीनामा डिक्री किया जाकर निम्न प्रकार से खातेदारी घोषणा प्रदान की जाती है :-

वादी संख्या 1 रामनाथ को खतौनी संख्या 316 के खसरा नम्बर 1057 रकबा 0.22 हैक्टेयर सम्पूर्ण हिस्सा, खसरा नम्बर 1058 रकबा 0.26 हैक्टेयर सम्पूर्ण हिस्सा, खतौनी संख्या 157 के खसरा नम्बर 1554 रकबा 0.27 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा, खतौनी संख्या 325 के खसरा नम्बर 1555 रकबा 4.14 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा, खसरा नम्बर 1553 रकबा 0.10 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा, खतौनी संख्या 246 के



M
सहायक जलकलक्टर
(फास्ट टाक) जयपुर

खसरा नम्बर 1922 रकबा 0.06 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा, खसरा नम्बर 1923 रकबा 0.07 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा के अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

वादी संख्या 2 लगायत 5 हरिराम, रूपनारायण, रामकुंवार, रामदयाल के खतौनी संख्या 316 के आराजी खसरा नम्बर 282 रकबा 0.39 हैक्टेयर सम्पूर्ण हिस्सा, खसरा नम्बर 281 रकबा 0.02 हैक्टेयर सम्पूर्ण हिस्सा, खसरा नम्बर 1405 रकबा 0.20 हैक्टेयर सम्पूर्ण हिस्सा, खतौनी संख्या 325 के खसरा नम्बर 4047 रकबा 0.70 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा, खसरा नम्बर 4050 रकबा 0.72 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा, खसरा नम्बर 4051 रकबा 0.70 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा, खसरा नम्बर 4052 रकबा 0.71 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

वादी संख्या 6 लगायत 9 रामेश्वर, रामस्वरूप, द्वारका व कैलाश के खतौनी संख्या 316 के आराजी खसरा नम्बर 852 रकबा 0.62 हैक्टेयर सम्पूर्ण हिस्सा, खसरा नम्बर 1949 रकबा 0.24 हैक्टेयर सम्पूर्ण हिस्सा, खतौनी संख्या 247 के खसरा नम्बर 1950 रकबा 0.03 हैक्टेयर में से 1/8 हिस्सा, खतौनी संख्या 246 के खसरा नम्बर 1946 रकबा 0.14 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा रहेगा एवं खतौनी संख्या 351 के आराजी खसरा नम्बर 328, 329, 331, 332, 333, 336, 403, 404, 405, 747, 748, 749, 751, 752, 757, 758, 759 कुल किता 17 कुल रकबा 8.58 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की माता खातेदार मन्नी पत्नि स्व० रामनारायण (मृतक) का हिस्सा एक आना का वादी संख्या 6 लगायत 9 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

एवं इसी प्रकार वादी संख्या 10 हरिनारायण के खतौनी संख्या 157 के खसरा नम्बर 1438 रकबा 1.54 हैक्टेयर में से सम्पूर्ण हिस्सा, खसरा नम्बर 1646 रकबा 0.21 हैक्टेयर सम्पूर्ण हिस्सा, खतौनी संख्या 246 के खसरा नम्बर 1926 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10/03/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
सहायक कलेक्टर
जयपुर
फास्ट ट्रेक
(फास्ट ट्रेक) 55

डिक्री मुकदमा इत्तदाई


(क्र. 20 जल 6-7 जाका दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मुकाम
 व इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखानत (R.A.S.)
रामनाथ पुत्र स्व. रामू जाति जाट नाम श्वधनाथ पुत्र स्व. रामनारायण जाति जाट
नि. खुडियाला तह. मौजमाबाद दावा गलत घोषणा व स्थाई निर्वेधाज्ञा नि. खुडियाला तह. मौजमाबाद
मौजमाबाद जिला जयपुर मुकदमा नं. 85/2020 तह. जिला जयपुर राज व अन्य
 यह मुकदमा आज दासो इन्फिराल कतई रुवरु अधि. श्री. उदय सिंह चौधरी

व हाजिरी मिनजानिम मुगडं रुवरु अधि. श्री. विरेंद्र सिंह खंभारांत

मिनजानिम मुहायतह धेश हाकर हुकम दिया जाता है व खिगरी की जाती है कि
 बाही का बाद बाकि गलत आरोजी वामे ग्राम खुडियाला तह. मौजमाबाद जिला
जयपुर के बाबत बरक्येशजीनामा डिक्री क्रियाकार निम्न प्रकार
से खारदारी घोषणा उदाब की जाती है :-
वादी स. 1 रामनाथ की खलौनी स. 316 रु खसराने. 1057 रु कबा 0.12

जिल मुवलिग वाकत
 लार्थ इस मुकदम के गज सूद नशरत कोरदी तह आज की तारीख
 तारीख अदागी तक का अदा करे।
 वरकत मेर दस्ताखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 03 जल 2021



दस्ताखत
 ओहदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बुद

	रुपये	पैसे	मुदायलह	वकत	जसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प नगदालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प जजरा सूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			नाबत इजराय हुकमनामा		
भावत इजराय हुकमनामा			मुताफरिका		
मुताफरिका					
मीजान			मीजान		


नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकत का चाहे डिकरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना जरूरी

५०० / १

निम्न-द्वय
85/2020

डिली
रामनाथ वर्मा बनाम स्वयंनारायण वर्मा
दावा

हेम्प्टे: सम्पूर्ण हिस्सा, ख.न. 1058 रुबा 0.26 हेम्प्टे, सम्पूर्ण
 हिस्सा, खलौनी स. 157 के स्वसरा न. 1554 रुबा 0.27 हेम्प्टे.
 में से 1/3 हिस्सा, खलौनी स. 325 के स्वसरा न. 1555
 रुबा रुबा 4.14 हेम्प्टेयर में से 1/3 हिस्सा, ख.न. 1553
 रुबा 0.10 हेम्प्टे. में से 1/3 हिस्सा, खलौनी सि. 246 के
 ख.न. 1922 रुबा 0.06 हेम्प्टेयर में से 1/4 हिस्सा,
 ख.न. 1923 रुबा 0.07 हेम्प्टे. में से 1/4 हिस्सा
 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
 बादी से. 2 लगा. 5 हरिराम, स्वपनारायण, रामकुमार,
 रामदयाल के खलौनी स. 316 के आराजी ख.न. 282
 रुबा 0.39 हेम्प्टे. सम्पूर्ण हिस्सा, ख.न. 281 रुबा
 0.02 हेम्प्टे. सम्पूर्ण हिस्सा, ख.न. 1405 रुबा 0.20
 हेम्प्टे. सम्पूर्ण हिस्सा, खलौनी स. 325 के स्वसरा न.
 4047 रुबा 0.70 हेम्प्टे. में से 1/3 हिस्सा, ख.न.
 4050 रुबा 0.72 हेम्प्टे. में से 1/3 हिस्सा, ख.न.
 4051 रुबा 0.70 हेम्प्टे. में से 1/3 हिस्सा, ख.न.
 4052 रुबा 0.71 हेम्प्टे. में से 1/3 हिस्सा के अनुसार



काश्तकार घोषित किया जाता है।
 बादी से. 6 लगा. 9 रामेश्वर, रामस्वरूप, हारना व
 केलाशा के खलौनी स. 316 के आराजी ख.न. 852
 रुबा 0.62 हेम्प्टे. सम्पूर्ण हिस्सा, ख.न. 1949
 रुबा 0.24 हेम्प्टे. सम्पूर्ण हिस्सा, खलौनी स. 247 के
 ख.न. 1950 रुबा 0.03 हेम्प्टे. में से 1/8 हिस्सा,
 खलौनी स. 246 के ख.न. 1946 रुबा 0.14 हेम्प्टे. में से
 1/4 हिस्सा रहेगा व खलौनी स. 351 के आराजी ख.न.
 328, 329, 331, 332, 333, 336, 403, 404, 405,
 747, 748, 749, 751, 752, 757, 758, 759 कुल
 कितों 17 कुल रुबा 8.58 हेम्प्टे. में से जति. स. 1 लगायत
 3 की भांति खातेदार मन्नी पल्लिस्व. रामनारायण
 (मृलक) का हिस्सा एक आना बाबादी स. 6 लगा. 9
 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(Signature)
 सहायक क्लर्क
 (फास्ट ट्रेक) दफ्तर

डिप्टी

स्वधनाथ वर्ग

रामनाथ वर्ग. बनाम

मि.स. - ६६

मु.स. 85/2020

दावा

स्व. इसी प्रकार वादीसे. 10 हरिनारायण के खतौनी
सं. 157 के खसरा नं. 1438 रकबा 1.54 हेक्टेयर
में से सम्पूर्ण हिस्सा ख. नं. 1646 रकबा 0.21
हेक्टे. सम्पूर्ण हिस्सा, खतौनी सं. 246 के खसरा
नम्बर 1926 रकबा 0.22 हेक्टे. में से 1/4 हिस्सा
का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है
इसी अनुसार पर्चा।



स्वधनाथ वर्ग
(मि.स. ६६) मु.स.

पृ.नं. 3